

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री मोहनलाल कोली, तत्कालीन व्याख्याता (भूगोल) वर्तमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडली, कोटड़ा जिला उदयपुर जन्म तिथि 01.07.1960 व्याख्याता पद के वरिष्ठता क्रमांक 626/2010-11 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के गुप-डी-II के अनुरूप प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद की वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनोपरान्त कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी/18-19/पदस्थापन/द्वितीय/2018 दिनांक 16.07.2016 द्वारा पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडली, कोटड़ा जिला उदयपुर में किया गया था।

उक्त आदेशों की पालना में श्री मोहनलाल कोली ने दिनांक 21.07.2018 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडली, कोटड़ा जिला उदयपुर में कार्यग्रहण किया। श्री मोहनलाल कोली की स्वयं की प्रार्थना पर इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडली, कोटड़ा जिला उदयपुर के पद से पदावनत कर पुनः व्याख्याता (भूगोल) के पद पर पदस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/मोहनलाल/2019/13

दिनांक : 15/2/19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, उदयपुर को भेजकर कर निर्देशित किया जाता है कि श्री मोहनलाल कोली के पदोन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य पद पर किये गये वेतन निर्धारण को पुनः संशोधित कर उक्त आदेश का इन्द्राज उनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से करें।
4. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-सी अनुभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री मोहनलाल कोली का पदस्थापन व्याख्याता (भूगोल) के रिक्त पद पर कर अवगत करावें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडली, कोटड़ा जिला उदयपुर।
6. श्री मोहनलाल कोली, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडली, कोटड़ा जिला उदयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि व्याख्याता (भूगोल) के पद पर पदस्थापन आदेश जारी होने तक यथावत कार्यरत रहेंगे।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत
8. रक्षित पत्रावली।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद की डीपीसी वर्ष 2012-13 में चयनित कार्मिकों के चयन आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-III/प्रधानाचार्य/डीपीसी/12-13 दिनांक 29.04.2013 में क्रस 67 पर अंकित श्री भवानी सिंह वरिष्ठता क्रमांक 602/1990-91 की जन्मतिथि दिनांक 19.07.01960 के स्थान पर 19.11.1960 पढ़ी जावें। आदेश की मूल शर्तें यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्थाबी-3/संशोधन/2017-18/

दिनांक 14-02-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर
3. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाई पर अपलोड हेतु।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित कार्मिक श्री भवानी सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि फलौदी, जोधपुर
7. प्रभारी बी-1-2/ए-2,7 **वरिष्ठता अनुभाग**
8. कार्यालय प्रति


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/IIIA के ग्रुप डी-II में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-II) पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक(मुख्य एवं रिज्यू) की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमों:- शिविरा-माध्य/संस्था-एबी/ बी-III/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2018-19 दिनांक 29.05.2018 द्वारा चयन आदेश जारी किया गया था ।

उक्त चयनित कार्मिकों में निम्नांकित कार्मिक के संबंध में समाप्तपत्रक आदेश 02.09.2018 द्वारा पदस्थापन आदेश निम्नानुसार जारी किया गया था । लेकिन आदेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि में जारी पदोन्नति पदस्थापन आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं करने के आधार पर इनका पदोन्नति परित्याग स्वीकृत किया जाता है ।

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	जाति वर्ग	पदस्थापन	जिला	पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जिला
1	284/09-10	RAJENDRA PRASAD GAUTTAM, LEC	01-04-68	GEN	GOVT. SR. SEC. SCH. PACHALA	TONK	G.SEC.SCH. BHOYAL	BARAN

W/50

(नथमल डिडेल)

आई.ए.ए.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 15 फरवरी-2019

क्रमों:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45005/प्रधानाचार्य/डीपीसी-18-19/2018/प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
07. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक) ।
08. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि उक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से करें।
09. संबंधित पदोन्नत कार्मिक
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रातिवेदन/विभागीय जांच/
11. प्रभारी,बी-3 को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


 संयुक्त निदेशक-कार्मिक